



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022021-224888
CG-DL-E-02022021-224888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 454]
No. 454]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 498(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1274(अ.) तारीख 24, अप्रैल, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्र.सं. 1 से 48 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन सदस्य

1. श्री नितिन जयराम गडकरी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय - अध्यक्ष पदेन

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सदस्य

2. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय - उपाध्यक्ष पदेन

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन सदस्य

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, उत्तराखंड राज्य - सदस्य पदेन

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, हिमाचल प्रदेश राज्य - सदस्य पदेन
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, सिक्किम राज्य - सदस्य पदेन
6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, महाराष्ट्र राज्य - सदस्य पदेन
7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, कर्नाटक राज्य - सदस्य पदेन
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, असम राज्य - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन सदस्य**
9. शंकर लालवानी, संसद सदस्य, लोकसभा - सदस्य पदेन
10. डॉ. बीशेट्टी वेंकट सत्यवती, संसद सदस्य, लोकसभा - सदस्य पदेन
11. डॉ. बंदा प्रकाश, संसद सदस्य, राज्य सभा - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ङ.) के अधीन सदस्य**
12. जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासक (उप राज्यपाल) - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन सदस्य**
13. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (छ) के अधीन सदस्य**
14. सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य पदेन
15. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य पदेन
16. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य पदेन
17. सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी),
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन सदस्य**
18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (झ) के अधीन सदस्य**
19. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ट) के अधीन सदस्य**
20. अध्यक्ष, भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ठ) के अधीन सदस्य**
21. कार्यपालक निदेशक और इससे ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) - सदस्य पदेन
- धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अधीन सदस्य**
22. श्री पेनमेटसा विष्णु कुमार राजू, आंध्र प्रदेश - सदस्य
23. श्री कुंदन कुमार, बिहार - सदस्य
24. श्रीमती टीना शर्मा, दिल्ली - सदस्य
25. श्री संपत तोषनीवाल, दिल्ली - सदस्य
26. श्रीमती हरजिंदर कौर, दिल्ली - सदस्य

27. श्रीमती हेमलबेन मेहता, गुजरात - सदस्य
 28. श्री बलदेवभाई गोविंदभाई प्रजापति, गुजरात - सदस्य
 29. श्री यशवीर डागर, हरियाणा - सदस्य
 30. श्री काशी नाथ सिंह, झारखंड - सदस्य
 31. श्री जे. आर. बांगेरा, कर्नाटक - सदस्य
 32. श्री रोबिन ब्लैकी, मणिपुर - सदस्य
 33. श्री सुधीर दाते, मध्य प्रदेश - सदस्य
 34. श्री रविंद्र दत्तात्रेय वैद्य, महाराष्ट्र - सदस्य
 35. श्री प्रदीप पेशकार, महाराष्ट्र - सदस्य
 36. श्री पर्वत केशरी मिश्रा, ओडिशा - सदस्य
 37. श्री राकेश गुप्ता, पंजाब - सदस्य
 38. सुश्री अंजू सिंह, राजस्थान - सदस्य
 39. श्री नरेश चंद्र पारिक, राजस्थान - सदस्य
 40. श्री मोहनसुंदरम, तमिलनाडु - सदस्य
 41. श्रीमती रश्मि मिश्रा, दिल्ली - सदस्य

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ढ) के अधीन सदस्य

42. श्री प्रवीन कुमार अग्रवाल, पश्चिम बंगाल - सदस्य (उद्योगपति)
 43. श्रीमती स्मिता यशवंत घैसास, महाराष्ट्र - सदस्य (अर्थशास्त्री)
 44. श्री उत्पल पर्रिकर, गोवा - सदस्य (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन सदस्य

45. राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) - सदस्य

धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (त) के अधीन सदस्य

46. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) - सदस्य सचिव पदेन

[फा. सं. 2(01)/2019/एनबीएमएसएमई]

देवेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)

टिप्पण : मुख्य अधिसूचना का.अ. (अ) दिनांक 24 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित की गई थी, तत्पश्चात निम्नानुसार अधिसूचना संशोधित की गई-

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	का. आ. 1774 (अ)	13 अप्रैल, 2018

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 498(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.1274(E) dated the 24th April, 2017, namely:-

In the said notification, for serial numbers 1 to 48 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely: -

Member under clause (a) of sub-section (3) of section 3		
1.	Sh. Nitin Jairam Gadkari, Union Minister, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Chairperson – ex officio
Member under clause (b) of sub-section (3) of section 3		
2.	Sh. Pratap Chandra Sarangi, Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Vice Chairperson – ex officio
Member under clause (c) of sub-section (3) of section 3		
3.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Uttarakhand	Member – ex officio
4.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Himachal Pradesh	Member – ex officio
5.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Sikkim	Member – ex officio
6.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Maharashtra	Member – ex officio
7.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Karnataka	Member – ex officio
8.	Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Assam	Member – ex officio
Member under clause (d) of sub-section (3) of section 3		
9.	Sh. Shankar Lalwani, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
10.	Dr. Beesetti Venkata Satyavathi, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
11.	Dr. Banda Prakash, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
Member under clause (e) of sub-section (3) of section 3		
12.	Administrator (Lieutenant Governor) of Jammu & Kashmir	Member – ex officio
Member under clause (f) of sub-section (3) of section 3		
13.	Secretary to the Government of India, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Member – ex officio
Member under clause (g) of sub-section (3) of section 3		
14.	Secretary to the Government of India, Ministry of Finance	Member – ex officio

15.	Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment	Member – ex officio
16.	Secretary to the Government of India, Ministry of Food Processing Industries	Member – ex officio
17.	Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce & Industry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)	Member – ex officio
Member under clause (h) of sub-section (3) of section 3		
18.	Chairman, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	Member – ex officio
Member under clause (i) of sub-section (3) of section 3		
19.	Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India (SIDBI)	Member – ex officio
Member under clause (j) of sub-section (3) of section 3		
20.	Chairman, Indian Banks' Association (IBA)	Member – ex officio
Member under clause (k) of sub-section (3) of section 3		
21.	Executive Director and above, Reserve Bank of India (RBI)	Member – ex officio
Member under clause (l) of sub-section (3) of section 3		
22.	Shri Penmetsa Vishnu Kumar Raju, Andhra Pradesh	Member
23.	Shri Kundan Kumar, Bihar	Member
24.	Smt. Teena Sharma, Delhi	Member
25.	Shri Sampat Toshniwal, Delhi	Member
26.	Smt. Harjinder Kaur, Delhi	Member
27.	Smt. Hemalben Mehta, Gujarat	Member
28.	Shri Baldevbhai Govindbhai Prajapati, Gujarat	Member
29.	Shri Yashvir Dagar, Haryana	Member
30.	Shri Kashi Nath Singh, Jharkhand	Member
31.	Dr. J.R. Bangera, Karnataka	Member
32.	Shri Robin Blackei, Manipur	Member
33.	Shri Sudhir Datey, Madhya Pradesh	Member
34.	Shri Ravindra Dattatreya Vaidya, Maharashtra	Member
35.	Shri Pradip Peshkar, Maharashtra	Member
36.	Shri Pravat Keshari Mishra, Odisha	Member
37.	Shri Rakesh Gupta, Punjab	Member
38.	Ms. Anju Singh, Rajasthan	Member
39.	Shri Naresh Chand Pareek, Rajasthan	Member
40.	Shri M. Mohanasundaram, Tamil Nadu	Member
41.	Mrs. Rashmi Mishra, Delhi	Member

Member under clause (m) of sub-section (3) of section 3		
42.	Shri Pravin Kumar Agarwal,	West Bengal
43.	Mrs. Smita Yashwant Ghaisas,	Maharashtra
44.	Shri Utpal Parrikar,	Goa
Member under clause (n) of sub-section (3) of section 3		
45.	National President, Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS)	Member
Member under clause (o) of sub-section (3) of section 3		
46.	Additional Secretary and Development Commissioner (Micro, Small and Medium Enterprises)	Member Secretary— ex officio

[F.No. 2 (01)/2019/ NBMSME]

DEVENDRA KUMAR SINGH, Addl. Secy. & Development Commissioner (MSME)

Note: The principal notification was published vide number S.O. (E) dated the 24th April, 2017 and subsequently amended vide the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	S.O. 1774(E)	13 th April, 2018